न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

पीठासीन अधिकारी : हवाई सिंह यादव
(आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 100/2022

1. हरिराम पुत्र जीताराम जाति जाट निवासी चुड़ैला तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
2. दयानन्द तिलोटिया पुत्र जीताराम जाति जाट निवासी चुड़ैला तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।

आवेदकगण

बनाम

1. विमलेश पुत्र दयानन्द जाति जाट निवासी बास चुड़ैला तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू।
2. नेमीचन्द पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी बास चुड़ैला तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू।
3. विजेन्द्र सिंह पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी बास चुड़ैला तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू।
4. सुभाषचन्द्र पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी बास चुड़ैला तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू।
5. डुंगर सिंह पुत्र मेघाराम जाति जाट निवासी बास चुड़ैला तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू।
6. श्रीचंद पुत्र जीताराम जाति जाट निवासी बास चुड़ैला तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू।
7. पंकज कुमार पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी बास चुड़ैला तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू।
8. निर्मला पुत्री भागीरथ जाति जाट निवासी बास चुड़ैला तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू।
9. नीलम पुत्री भागीरथ जाति जाट निवासी बास चुड़ैला तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू।
10. मनीषा पुत्री भागीरथ जाति जाट निवासी बास चुड़ैला तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू।
11. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार बिसाऊ जिला झुन्झुनू।

अनावेदकगण

वकील आवेदक – मोहम्मद रशीद खान
वकील अनावेदकगण– श्री राजकुमार गढ़वाल

प्रार्थना पत्र बाबत पत्थर गड्डी

निर्णय

दिनांक 17.10.2023

संक्षेप में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम बास चुड़ैला पटवार हल्का चुड़ैला में भूमि ख0न0 119 रकबा 1.10 है0 भूमि अवस्थित है। जो आवेदकगण व अनावेदकगण संख्या 6 व 7 की खातेदारी काश्तकार की भूमि है। आवेदकगण द्वारा अपनी खातेदारी काश्तकारी का सीमाज्ञान दिनांक 10.06.2022 को तहसीलदार मलसीसर के आदेश की पालना में पटवारी हल्का द्वारा करवाया जा चुका है जिसकी फर्द सीमाज्ञान दिनांक 10.06.2022 को तैयार की गयी है। सीमाज्ञान के अनुसार उक्त वर्णित भूमि के उत्तरी कोने पर (ख0न0 118 के दक्षिण पूर्वी कोने पर) एक कीकर का पेड़ है। पेड़ से ख0न0 119 को उत्तरी पूर्वी कोना 13 मीटर आगे है जिसमें 4 मीटर का डोटेड रास्ता सम्मिलित है। इसलिये प्रार्थीगण को अपने हिस्से की भूमि पर उसकी नपती अनुसार उसके हिस्से की भूमि पर पत्थरगडी करवाये जाने के आदेश प्रदान किया

उपखण्ड अधिकारी मलसीसर

जाना न्यायोचित है। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त वर्णित भूमि की फर्द सीमाज्ञान मौका रिपोर्ट दिनांक 10.06.2022 के मुताबिक पत्थरगढ़ी करवाये जाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनावेदकगण को जरिये सम्मन वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढ़ी करवाये जाने के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करने हेतु नोटिस जारी किया गया। अनावेदक संख्या 6 लगायत 10 बाद तामील अनुपस्थित। अनावेदकगण की तामिल विधिवत पूर्ण होने के पश्चात सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर देने के उपरांत भी अपना पक्ष नहीं रखते है या उपस्थित नहीं होते है तो यह मानकर कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के अनुसार सिद्दि दिये जाने में उन्हे कोई उजर एतराज नहीं है, उनके विरूद्व आदेश 9 नियम 6 के तहत EXPARTY मानकर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है। प्रकरण में विधिवत तामिल होने के पश्चात भी अनावेदकगण संख्या 6 लगायत 10 की ओर से अपना पक्ष नहीं रखने पर उन्हें EXPARTY मानकर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 5 की ओर से एडवोकेट राजकुमार गढ़वाल ने जवाब पेश कर कथन किया कि कानून से सीमा ज्ञान पड़ौसी खातेदार की उपस्थिति में मौके पर फर्द मौका बनाकर या बिन्दु बनाकर किया जाता है उसी मुताबिक पत्थरगडी करवाये जाने का कानूनी प्रावधान है। प्रार्थी केवल मात्र खसरा नम्बर 119 में से जाने वाले पश्चिम से पूर्व की ओर डोटेड प्रचलित रास्ते को गैर इरादतन आशय से उक्त पत्थरगडी का आदेश न्यायालय से करवाना चाहता है जो कानूनन सही नहीं है। पूर्व में भी प्रार्थी उक्त रास्ते को कई बार अवरूद्ध कर चुका है जिसको सक्षम अधिकारियों के आदेशों से खुलवाया जा चुका है। इसलिये प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

जवाबदेही पूर्ण होने के उपरान्त बहस विद्वान अधिवक्तागण श्रवण की गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता आवेदक ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 10.06.2022 के पत्थरगढ़ी करवाये जाने का अनुरोध किया। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने दौराने बहस जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। आवेदक के प्रार्थना पत्र एवं विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। आवेदक ने अपनी खातेदारी भूमि का तहसीलदार मलसीसर से दिनांक 10.06.2022 को नियमानुसार सीमाज्ञान करवाया है जिसकी सत्य प्रतिलिपि पत्रावली में सलंग्न है। आवेदक अपनी खातेदारी काश्तकारी की भूमि पर मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगड्डी करवाना चाहता है जो न्यायसंगत है। तमाम तथ्यों, दस्तावेजों एवं बहस विद्वान अधिवक्ता के प्रकाश में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है। ग्राम बास चुड़ैला पटवार हल्का चुड़ैला स्थित भूमि ख0न0 119 रकबा 1.10 है0 भूमि के कब्जे काश्त के संबंध में विवाद नहीं होने की स्थिति में मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगड्डी का आदेश दिया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.10.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17/10/23

(हवाई सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर